भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No.2019/EEM/148/3Pt

New Delhi, Dated: 24.02.2022

The General Managers,
All Indian Railways

Sub:-Issue of Letter of Mandate by RBI for availing power supply connections of various StateElectricity Boards/Power Utilities.

******

Please refer to Board's letter no.2008/AC-II/2/4 dated 3.3.2020 vide which revised formats of Letter of Mandate and Mandate to debit Account were circulated to the Railways. The existing format, inter-alia, provides for validity of mandate for a period of 30 calendar days w.e.f the date of close of business (refer Para 3 of Letter of Mandate).

2. In this regard, PGCIL has requested to increase the validity period to 90 calendar days (instead of 30 calendar days presently provided for in the format of Letter of Mandate) after the date of close of business to accommodate their billing cycle. Accordingly, the matter was discussed with PGCIL and in order to maintain uniformity in the format of letter of mandate for different power supply utilities, it has been decided that the **date of close of business for PGCIL** may be increased by two months in case of the letter of mandate while sending request to RBI to accommodate their billing cycle of 90 days. Accordingly, in respect of billing cycle ending on 31st March, date of close of business may be indicated as 31st May in the Mandate of PGCIL, which will take care of their 90 days billing cycle taking into account the validity of 30 days after date of close of business. This arrangement will ensure uniformity in the Letter of Mandate to all power utilities besides accommodating PGCIL's billing cycle.

3. This issues in consultation with Accounts Dte.

24/02/2022

(Sumit Garg)
Director Elect. Engg. (PS)
Phone no: 011-23389112
Email- rbelectricaleem@gmail.com

No.2019/EEM/148/3Pt

New Delhi, Dated : 24.02.2022

Copy to:
1. PFAs and PCEEs of All Indian Railways.
2. Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Deptt of Govt. andBank Accounts, Opp. Mumbai Central Railway Station, 4 th Floor, Byculla, Mumbai- 400008.

(Ajay Bartwal)
JDF/CCA
Railway Board

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

सं.2019/ईईएम/148/3पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 24.02.2022

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

विषय : विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/बिजली उपयोगिताओं की बिजली आपूर्ति कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिदेश पत्र जारी करना

कृपया बोर्ड दिनांक 3.3.2020 के पत्र सं 2008/एसी-II/2/4 का अवलोकन करें, जिसके तहत रेलों को अधिदेश पत्र के संशोधित प्रारूप और डेबिट खाते के लिए अधिदेश परिपत्रित किए गए थे। मौजूदा प्रारूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवसाय के समापन की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के लिए अधिदेश की वैधता का प्रावधान है (अधिदेश पत्र का पैरा 3 देखें)।

2. इस संबंध में, पीजीसीआईएल ने वैधता अवधि को व्यवसाय के समापन की तारीख के बाद बढ़ाकर 90 दिन करने का अनुरोध किया है (वर्तमान में अधिदेश पत्र के प्रारूप में दिये गए 30 कैलेंडर दिनों के बजाय) ताकि इसमें बिलिंग चक्र को समायोजित किया जा सके। तदनुसार, इस मामले पर पीजीसीआईएल के साथ चर्चा की गई थी और विभिन्न बिजली आपूर्ति उपयोगिताओं के लिए अधिदेश पत्र के प्रारूप में एकरूपता बनाए रखने के उदेश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि अधिदेश पत्र के मामले में पीजीसीआईएल के लिए व्यवसाय के समापन की तारीख को दो महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके 90 दिन के बिलिंग चक्र को समायोजित करने के लिए अनुरोध भेजा जा सकता है। तदनुसार, 31 मार्च को समाप्त होने वाले बिलिंग चक्र के संबंध में पीजीसीआईएल के अधिदेश में व्यवसाय के समापन की तारीख 31 मई दर्शाई जा सकती है, जिसमें व्यवसाय समाप्त करने की तारीख से 30 दिनों की वैधता को के मद्देनजर 90 दिनों के बिलिंग चक्र को ध्यान में रखा जाएगा। इस व्यवस्था से पीजीसीआईएल बिलिंग चक्र के समायोजन के अलावा सभी बिजली उपयोगिताओं के लिए अधिदेश पत्र में एकरूपता सुनिश्चित होगी।

3. इसे लेखा विभाग के परामर्श के साथ जारी किया जा रहा है।

(सुमित गर्ग)
निदेशक, बिजली इंजीनियरी.(पी एस)
फोन नं: 011- 23389112
ईमेल - rbelectricaleem@gmail.com

सं.2019/ईईएम/148/3पार्ट
नई दिल्ली, दिनांक: 24.02.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार और प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें
2. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल ऑफिस, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भायखला ऑफिस, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, चतुर्थ तल, भायखला, मुंबई- 400008

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त सचिव, वित्त/सीसीए
रेलवे बोर्ड